ग्राम पंचायत भटोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भटोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत भटोली में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमती हरप्रीत कौर	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री जसवीर सिंह	01.04.2024 से 31.3.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत भटोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.3	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर	4.18
2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	25.42
3	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.56
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.03
5	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली करना	0.01
6	8.1	खरीदे हुए सामान का e-way bill प्रस्तुत न करने वारे	1.38
7	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.38
8	8.3	बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान बारे	0.02
9	8.4	अनियमित भुगतान बारे	1.60
10	8.5	निर्माण कार्य से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे	2.35
11	8.6	लोक संपर्क विभाग हि० प्र० के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों में छपवाए गये विज्ञापनों हेतु किये गये भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व की वितीय हानि बारे	0.01

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भटोली का अंकेक्षण अवधि 01/04/2017 से 31/03/2019 तक के लिये किया गया था, जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2017 से 31/03/2019 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत)
2.	पैरा-4 (क, ख, ग,घ)	निर्णीत।	(विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत)
3.	पैरा-4 (ङ०)	अनिर्णीत।	
4.	पैरा-5	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 में पुनः प्रारूपित।
5.	पैरा-6	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुनः प्रारूपित।
6.	पैरा-7	निर्णीत।	(विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत)
7.	पैरा-8	निर्णीत।	(विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत)
8.	पैरा-9	अनिर्णीत।	
9.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-12	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-13	निर्णीत।	(विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत)
13.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
15.	पैरा-16 (i)	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-16 (ii)	निर्णीत।	(विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत)
17.	पैरा-18	अनिर्णीत।	
18.	पैरा-19	अनिर्णीत।	
19.	पैरा-20	निर्णीत।	(विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत)

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत भटोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री जीवन कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 12.06.2025 से 16.06.2025 तक ग्राम पंचायत भटोली के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	7/2024	03/2025

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत भटोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹3000/- आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 42/2025 दिनांक 16.06.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत भटोली द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित मेहतपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 302515 दिनांक 30.06.2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4.1(क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत भटोली द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 39(II)/2025 दिनांक 16.6.2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 4/24 से 3/25 तक के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट**

"क" पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व स्त्रोत व अनुदान, (Online)(15वां वित्तायोग सहित समेकित) व मनरेगा (Online) रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	3073620.97	2143167	5216787.97	2674932	2541855.97

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत भटोली के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों का अंतशेष रहा :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	2541855.97
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	2123332.97
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	208
4)	**योग (2+3)**	**2123540.97**
5)	**अन्तर (4-1)**	**-4,18,315.00**

4.2 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना :

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

4.3 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹4.18 लाख के अत्यधिक अन्तर बारे:-

ग्राम पंचायत भटोली की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2025 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹4,18,315.00** की राशि का अन्तर पाया गया इस कारण वश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 41 (I)/2025 दिनांक 16.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 39/2025 दिनांक 16.6.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 39(II)/2025 दिनांक 16.6.2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 31(I)/2025 दिनांक 10.06.2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का

अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹25.42 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाए गए अभिलेख **(परिशिष्ट क)** अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹2541855.97** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 39(II)/2025 दिनांक 16.6.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 31(I)/2025 दिनांक 16.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु

जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 39(II)/2025 दिनांक 16.6.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 31(I)/2025 दिनांक 16.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत :

7.1 पंचायत राजस्व गृहकर ₹0.56 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 39(II)/2025 दिनांक 16-6-2025 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्याः 31 (I) दिनांक 16.06.2025 द्वारा अवगत उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर **₹56150 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	20350	36750	57100	950	56150

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति

शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹2800 (सलंग्न परिशिष्ट "ग" अनुसार)** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	2024-25	2800

इस सम्बन्ध में जारी ज्ञापन संख्या 39/2025 दिनांक 16.6.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 37 दिनांक 16.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट "ग" में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से **₹800** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
1	2024-25	800

इस सम्बन्ध में जारी ज्ञापन संख्या 39/2025 दिनांक 16.6.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 38 दिनांक 16.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। विवाह पंजीकरण राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

व्यय:

8.1 ₹1.38 से खरीदे हुए सामान से सम्बंधित E-Way Bill प्रस्तुत न करने वारे :-

अंकेक्षण में चयनित माह के भुगतान वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत में फर्मों द्वारा सामान की आपूर्ति बिल के साथ E way bill सलंग्न नहीं किया गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 12-4/78-EXN- Tax - 14104 dated 1st मई 2018 के अनुसार अगर सामान की कीमत 50000 रूपये से ऊपर है तो उस सामान की आपूर्ति E way bill द्वारा करना अनिवार्य है। E-Way Bill एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल है जो कि GST पोर्टल पर बनता है, GST सिस्टम के तहत किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए उस सामान का ऑनलाइन बिल तैयार किया जाता है। यह बिल 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ज़रूरी है। माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 68 के तहत, माल की आवाजाही शुरू होने से पहले पंजीकृत लोगों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा एक ई-वे बिल तैयार किया जाना चाहिए। इससे वास्तविक समय में माल की आवाजाही पर नज़र रखता है, यह एक डिजिटल प्रणाली है, जो माल के परिवहन से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन दर्ज करती है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल हो जाती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत उक्त सामान की खरीद को संदेहजनक होने के साथ साथ नियमों की अवहेलना करना दर्शाता है।

Sr No.	Voucher No/ date	Name of items	Quantity	Rate	Bill No. / date	Total amount(₹) (18% GST)
1	Nil	MS Square pipe	1300 kg	90/-	SSC/23-24/1340 dated nil	138060

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40/2025 दिनांक 16.6.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 39 दिनांक 16.6.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि आगामी अंकेक्षण में उपरोक्त खरीद हेतु e-way बिल प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। अतः उत्तर संतोषजनक नहीं है, उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अम्ल लाई जाना सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि ₹50,000 या उससे अधिक मूल्य के सामान की प्राप्ति e –way bill द्वारा सुनिश्चित की जाए और मूल बिलों के साथ सलंग्न किया जाए। अन्यथा माल परिवहन के लिए चालान या ई-वे बिल बनाने में विफल होना एक गंभीर अपराध है, इससे ₹10,000 या अधिक राशि के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस प्रकार e –way bill ख़रीदे गए सामान की आपूर्ति / आवाजाही को अधिक पारदर्शी बनाता है और यह कर चोरी को भी रोकता है।

8.2 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.38 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **निम्न विवरणानुसार** पंचायत द्वारा **₹138060** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40(I)/2025 दिनांक 16.6.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 33 दिनांक 16.6.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में नियमानुसार निविदाएं लेकर ही सामान का क्रय किया जाएगा व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**बिल संख्या व दिनांक**	**फर्म का नाम एवं पता**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	MGNREGA	Nil / NIL	SSC/23-24/1340 dated nil	M/s Som Nath & Company	MS Square pipe	138060

8.3 बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.02 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारेः -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम के अंतर्गत क्रम (2.1.2.13) में बजरी (Aggregate) एवं पत्थरों (Stone/Boulders) के आकार अनुसार आपूर्ति के दौरान रिक्तियों (Voids) की कटौती 5%, 10% एवं 12.5% करना निर्धारित है । अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल **₹15950** का भुगतान किया गया जिस पर **₹1558** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 41(II)/2025 दिनांक 16-6-2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसका सचिव द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से की जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

	वित्त वर्ष - 2024-2025								
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
क्र० सं०	**आपूर्तिकर्ता**	**वा०सं०/दिनांक**	**मद का नाम**	**दर**	**मात्रा**	**Deno**	**राशी GST सहित**	**कटौती दर**	**रिक्तियां (Voids) (₹)**
1	M/s Gurbandhan Govt Contrac-tor	Own/2024-25/P/17 – 08.1.2025	Bajri 20mm	29	200	Cft	5800	5%	290

2.	M/s Gurbandhan Govt Contractor	Own/2024-25/P/17 – 08.1.2025	Bajri 40mm	29	350	Cft	10150	12.5%	1268
						Total	15950		1558

8.4 ₹ 1.60 के अनियमित भुगतान बारे :-

अंकेक्षण में चयनित माह के भुगतान बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित भुगतान बिल या तो गत वित्तीय वर्षों से सम्बंधित हैं या फिर इन पर कोई दिनांक वर्णित नहीं है, जो कि एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता है और जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 (2), 47(1) व प्रदेश सरकार के अन्य वित्तीय नियमों की अवहेलना करना दर्शाता है । अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40(II)/2025 दिनांक 16.6.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 32 दिनांक 16.6.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उपरोक्त कार्य VKVNY मद के अनुसार वर्ष 2022-23 में करवाएँ गए हैं और इनकी किशत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त की गई है । दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बिलों पर दिनांक अंकित नहीं करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है और जिसके कारण किसी भी गलत भुगतान किए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है इस सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

Head: Planning

Sr No.	Voucher / date	Name of supplier	Name of items	Quantity	Rate	Total amount (₹)
1	Own/2024-25/P/17 08.1.2025	M/s Gurbandhan Govt Contractor	20mm Bajri Sand 40mm Bajri	200 cft 200 cft 350 cft	29 31 29	5800 6200 10150
	MGNREGA					
2	Nil / NIL	M/s Som Nath & Company	MS Square	13000kg	90 + GST	1,17,000 21060
				Total		**160210**

8.5. ₹2.35 लाख के निर्माण कार्य से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे,संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 -पार्ट –बी के नियम -79 (2) के अनुसार पंचायत समिति सचिव को अंकेक्षण को आपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेबार रहना होगा। परन्तु चयनित माह के भुगतान बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा नियम 94,95 व 101 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख जैसे निर्माण कार्यों प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन /तकनीकी मंझूरी और वित्तीय व माप पुस्तिकाएं इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण **(सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार)** पर वर्णित निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु किए गए **₹ 234940.00** के भुगतान अंकेक्षण में सत्यापित नहीं किया जा सका जोकि आपतिजनक है। अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40(III)/2025 दिनांक 16.6.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 34 दिनांक 16.6.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि आगामी अंकेक्षण में उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। अत: उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा पूर्ण अभिलेख सहित अंकेक्षण को अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.6 लोक संपर्क विभाग हि० प्र० के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों में छपवाए गये विज्ञापनों हेतु किये गये भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व ₹0.01 लाख की वितीय हानि बारे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: 2006/01-15 Pub 92-14263 दिनांक 30.08.2006 व पत्र संख्या 1-PR-H (F)-4(APP)/2013 में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड व कॉरपोरेशन द्वारा सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाए जाने आवश्यक हैं तथा विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से न छपवाए जाने की स्थिति में विज्ञापन हेतु भुगतान की जाने वाली राशि में से 15% कमीशन के रूप में कटौती करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय शीर्षक -300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के दौरान विभिन्न व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि जिला परिषद् द्वारा विज्ञापन छपवाने हेतु में अनुसार **₹4523.00** का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया था तथा यह

राशि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से व्यय नहीं की गयी थी, जोकि सरकार के उक्त निर्देशों के प्रतिकूल है जिसके कारण 15% की दर से कमीशन के रूप में **₹ 678** की हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से हानि हुई है। अतः 15% कमीशन के रूप में ₹ **678** की हिमाचल प्रदेश सरकार को हुई राजस्व हानि को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वाउचर संख्या व् दिनांक	**कार्य**	**बिल संख्या / दिनांक**	**विज्ञापन एजेंसी**	**बिल राशि (₹)**	**आपेक्षित 15% कमीशन (₹)**
Own/P/12, (29.8.2024)	निविदा हेतु विज्ञापन	HP-I-2425-002051 / 26.06.2024	दैनिक जागरण	2000 (with GST)	**300**
Own/P/13, (29.8.2024)	निविदा हेतु विज्ञापन	24/D/003590 / 25.6.2025	दिव्य हिमाचल	2523 (with GST)	**378**
			कुल योग	**4523**	**678**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40(IV)/2025 दिनांक 16-6-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 35 दिनांक 16-6-2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में विज्ञापनों हेतु भुगतान लोक सम्पर्क विभाग द्वारा ही किया जाएगा। उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.7 ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर व निर्माण कार्य हेतु सामग्री इत्यादि की खरीद हेतु अपनाई जा रही निविदा प्रणाली में गम्भीर आपत्तियां पाई जाने बारे : -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है। उपरोक्त अतिरिक्त अंकेक्षण में पाया गया कि निविदाओं को आमंत्रित करने में प्रदेश सरकार के वित्तीय नियमों का पालन ढंग से नहीं किया जा रहा है, उदाहरणत: ग्राम प्रांचायत द्वारा निविदाएँ प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में वर्णित शर्तों व नियमों की पालन स्वयं ग्राम पंचायत

द्वारा नहीं नहीं किया जा रहा है जैसे कि शर्तों व नियमों में स्पष्ट लिखा होता है कि आपूर्तिकर्ता / फर्म व सेवाप्रदाता के पास GST नंबर अनिवार्य है, बिना GST के निविदा मान्य नहीं है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि निविदाएं प्राप्ति के समय इन नियमों का पालन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। इनमे मुख्य अनियमितताएँ इस प्रकार से हैं जैसे कि निविदाओं को बिना GST नंबर के स्वीकार करना, निविदाओं पर कोई भी पत्र संख्या / reference number व दिनांक कोई भी न वर्णन करना, निविदा भेजने वाले का पूरा नाम व पत्ता नहीं होना, निविदाओं को प्राप्त करने उपरान्त comparative statement न तैयार करना, फ़र्म के बिना लेटर हैड / अधूरी सूचना / गलत GST नंबर का लिखा जाना इत्यादि पाया जाना।। इस प्रकार नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 40(III)/2025 दिनांक 16.6.2025 के ग्राम पंचायत के ध्यान में लाया गया है , परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा इस बारे कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर व निर्माण कार्य हेतु सामग्री इत्यादि की खरीद हेतु अपनाई जा रही निविदा प्रणाली में गम्भीर अनियमितताएं पाया जाना एक चिंतनीय विषय है। अतः उक्त विषय पर सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में निविदाएँ प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में वर्णित शर्तों व नियमों का पालन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि सामान की खरीद में अधिक पारदर्शिता के साथ बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ भी उठाया जा सके।

9 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 39(III)/2025 दिनांक 16/06/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 32(I) दिनांक 16/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
12	बिल रजिस्टर	13	48

10 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 39(II)/2025 दिनांक 16.06.2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 32(I) दिनांक 16.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 03.x.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

6370-6374 03 OCT 2025 का प्रति०

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)58 / 2019–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भटोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 OCT 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 03.x.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
का प्रति० दूरभाष–0177–2626670

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत भटोली, विकास खण्ड व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)

1 क्रम संख्या	2 वर्ष	3 प्रारम्भिक शेष	4 आय ब्याज सहित	5 कुल योग(3+4)	6 व्यय	7 अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3073620.97	2143167	5216787.97	2674932	2541855.97

Checked

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhatoli
Dev.Block Una (H.P.)

ग्राम पंचायत भटोली, विकास खण्ड व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1 क्रम संख्या	2 वर्ष	3 प्रारम्भिक शेष	4 आय ब्याज सहित	5 कुल योग(3+4)	6 व्यय	7 अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3073620.97	1845887	4919507.97	2377652	2541855.97

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1 क्रम संख्या	2 वर्ष	3 प्रारम्भिक शेष	4 आय ब्याज सहित	5 कुल योग(3+4)	6 व्यय	7 अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1461313.97	776307	2237620.97	1547762	689858.97

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1612307	1069580	2681887	829890	1851997

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	297280	297280	297280	0

Checked

JSDehal
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bh...
Dev.Block Una (H.P.)

20

परिशिष्ट - क - 1

Gram Panchayat Bhatoli, Block Una

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	PNB MEHATPUR - GIA	786001700004742	34140.37
	HDFC MEHATPUR - 15TH FC	50100358469972	1851997
	HDFC MEHATPUR - GIA	50100661093700	12473
	HDFC MEHATPUR - 14TH FC	50100223841760	1302.6
	KCCB MEHATPUR - GIA	20079006842	185712
	KCCB MEHATPUR - GIA (IAY)	20079022297	16959
	INDUSIND BANK - GIA (RGSA)	100209082293	20749
		योग	**2123332.97**
2		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	208
		योग (1+2)	**2123540.97**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhatoli
Dev.Block Una (H.P.)

ग्राम पंचायत भटोली , विकास खण्ड व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

		Cashbook & Bank Balance
1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	2541855.97
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	2123332.97
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	208
4)	**योग (2+3)**	**2123540.97**
5)	**अन्तर (4-1)**	**-418315**

Checked

JSDehal
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhatoli
Dev.Block Una (H.P.)

22

परिशिष्ट "ख"

पैरा संख्या में संदर्भित

ग्राम पंचायत भटोली, विकास खण्ड ऊना , जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	20350	36750	57100	950	56150

नोट :-- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक गृहकर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिससे प्रारम्भिक शेष के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण दौरान सम्भव नहीं हो पाई है |

JSDehal
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhatoli
Dev.Block Una (H.P.)

परिशिष्ट"ग" पैरा संख्या में संदर्भित

<u>ग्राम पंचायतभटोली, विकासखण्ड ऊना , जिला ऊना हि.प्र.</u>

<u>दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025तक विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-</u>

क्रम सं.	नाम	विवाह की तारीख	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु बकाया राशि
1	Jai Singh	07/11/1993	18/04/2024	---------	400	00	400
2	Raj Kumar	14/07/2024	09/09/2024	158297	400	400	0
3	Mohit Joshi	06/10/2024	18/10/2024	158403	200	200	0
4	Arushi Sharma	07/10/2024	18/10/2024	158404	200	200	0
5	Deepshika	11/10/2024	25/10/2024	158405	200	200	0
6	Neeraj Sharma	09/09/2024	25/11/2024	---------	400	00	400
7	Ankita Sharma	25/11/2024	25/11/2024	158410	200	200	0
8	Rishi Kumar Sahore	05/11/2024	17/01/2025	158415	400	400	0
9	Sarbir Singh	10/11/2024	06/02/2025	158418	400	400	0
10	Sahil Chabba	21/02/2025	25/02/2025	158419	200	200	0
11	Raj Kumar	07/02/2025	25/02/2025	158420	200	200	0
12	Vishakha	20/02/2025	28/02/2025	158421	200	200	0
13	Surinder Kaur	09/02/2025	28/02/2025	158422	200	200	0
14	Abhishek Kumar	18/02/2025	05/03/2025	158423	200	200	0

Total 2800 800

JSDehal
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhatoli
Dev.Block Una (H.P.)

परिशिष्ट संख्या (ख)

विवरण प्राक्कलन प्रसाशनिक अनुमोदन तकनीक मंजूरी और वितीय मंजूरी व् माप पुस्तिकाए प्रस्तुत करने बारे।										
Sr. no	Financial 1year	Scheme	Name of work/Head	Voucher No/Dt./Payment advice No/Dt/C.B.P No/Dt.	Bill No./Dt.	Supplier	Descriptic	Qty(Kgs /C.mtr/ No.)	Rate(₹)	Paid amt. (₹)
1	2024-25	15th FC	Underground Pipe H/O Ram Murti W.N. 7	30 Dt. 15/03/25	122183Dt.13/1/25	HPSCSC Ltd.	Cement	70 Bags	365.03	25552
2	2024-25	15th FC	Underground Pipe Grey Water W.N. 6	31 Dt. 15/03/25	122183Dt.13/1/25	HPSCSC Ltd.	Cement	20 Bags	365.03	7301
3	2024-25	15th FC	C/O Path Mohalla Ranota W.N. 7 Phase 2	32 Dt. 15/03/25		Jarnail Singh	Cement	160 Bags	18	2880
4	2024-25	15th FC	C/O Path Main Sadak Se Mohalla Tikra W.N. 7	33 Dt. 15/03/25		Jarnail Singh	Cement	60 Bags	18	1280
5	2024-25	15th FC	C/O Underground Pipe Path Main Sadak Se House Of Onkar	34 Dt. 15/03/25		Jarnail Singh	Cement	70	18	1392
6	2024-25	15th FC	R/O Park G P Bhatoli Lower	35 Dt. 15/03/25		Jarnail Singh	Cement	40	18	1120
7	2024-25	15th FC	C/O Path Mohalla Ranota W.N. 7	36 Dt. 15/03/25	756 Dt. 29/02/24	M/S Vijaya Engg.	Frame	5 Weight 74.500	85	7472
8	2024-25	15th FC	C/O Rasta H/O Makhan Singh TO h/o Gurdial Singh	37 Dt. 15/03/25	15618		Labour			30780
9	2024-25	15th FC	R/O Park G P Bhatoli Nichli	38 Dt. 26/03/25	191 Dt. 21/02/25	Rudra Tiles	Tiles	2500	9	35400
10	2024-25	15th FC	C/O Path Mohalla Ranota W.N. 7	39 Dt. 15/03/25		Jarnail Singh	Mixture			1872
11	2024-25	15th FC	C/O DrAIN AND Path from H/O Kehar Singh to H/O Surjeet Singh W.N.4	40 Dt. 27/03/25	101 Dt. 08/08/24	Deepak Enterprises	Pipe	7	2350	19647
12	2024-25	15th FC	C/O Path Main Sadak Se Mohalla Tikra W.N. 7	41 Dt. 15/03/25	1454 Dt.04/03/25	Deepak Enterprises	Pipe	6	2350	18662
13	2024-25	15th FC	Underground Pipe Grey Water W.N. 6	42Dt. 15/03/25	1458 Dt.21/03/25	Deepak Enterprises	Pipe	13	32	48750
14	2024-25	15th FC	R/O Park G P Bhatoli Nichli	43 Dt. 15/03/25	15620	Labour	Labour			32832

Total 2,34,940

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bhatoli
Dev.Block Una (H.P.)

Section Officer
H P State Audit Department
Shimla-09

25